

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय,

नई दिल्ली – 110124

सं. 395 /क. सू. प्रौ./28/2016-17

दिनांक: 07.06.2016

सेवा में,

सभी विक्रेता

विषय : हेवी ड्यूटी यूपीएस के व्यापक वार्षिक रखरखाव के लिए मोहरबंद उध्दरण ।

महोदय/महोदया,

मोहरबंद उध्दरण पुरानी बिल्डिंग 10 बी एस जेड मार्ग, नई दिल्ली – 110002 पर प्रतिष्ठापित निम्नलिखित यूपीएस के व्यापक वार्षिक रखरखाव के लिए योग्य विक्रेताओं से सीमित निविदा जांच द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं :

क्रम सं.	विवरण	मदों की संख्या
1.	30 केवीए यूपीएस	01
2.	06 केवीए यूपीएस	07
3.	05 केवीए यूपीएस	01

यूपीएस के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव निविदा के लिए अंकित उध्दरण' के साथ मोहरबंद कवर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली – 110124 के कार्यालय के निदेशक (कार्मिक) को संबोधित 24.06.2016 को या पूर्व 3.00 बजे अपराहन तक श्री परवेज़ हसन, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (कल्याण आईटी) को व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय के तीसरे तल पर कमरा सं. 305 में प्रस्तुत किए जाएंगे और उसी दिन 4.00 बजे अपराहन को बोली खोली जाएगी। निविदा की आवश्यक निबंधन एवं शर्तें अनुलग्नक I एवं II (संलग्न) में सूचीबद्ध हैं। इस निविदा जांच की एक प्रति इस कार्यालय की वेबसाइट www.cag.gov.in पर उपलब्ध है।

भवदीय,

-Sd-

(परवेज़ हसन)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (क.सू.प्रौ.)

अनुबंध

(नियम एवं शर्तें)

1. यह कार्यालय निम्न संविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है तथा इसे बिना कोई कारण बताए एक या सभी प्राप्त संविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार है। किसी भी संदर्भ में अपर्याप्त या अपूर्ण अथवा निर्दिष्ट शर्तों को पूरा न करने वाली संविदाएँ अस्वीकृति की दायी हैं। संविदाकार /विक्रेता द्वारा किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने का परिणाम उनकी निविदाओं की अस्वीकृति होगा।
2. ऐसे प्रमुख संगठन/सरकारी विभाग जिसके पास ठेकेदार/फर्म ने पिछले तीन वर्षों के लिए कम से कम 10 हैवी ड्यूटी यूपीएसज के व्यापक एएमसी रखे हैं, के आदेशों /पत्रों की प्रतियाँ।
3. अभी तक ठेकेदार के संगठन में कार्यरत हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की संख्या तथा उनकी अकादमिक और तकनीकी शिक्षा।
4. संविदाकार /फर्म को आपूर्ति /सेवाओं के लिए दिल्ली/ एनसीआर बिक्री /सेवा कर विभाग में पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण संख्या आदि प्रमाणीकरण /वर्णन करने वाली प्रतियाँ निविदा / उध्दरण में प्रस्तुत होनी चाहिए।
5. जहां पर भी आवश्यक हो वहाँ पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आईटी रिटर्न की प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
6. संविदाकार /फर्म को टीआईएन /पीएन संख्या आदि की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए।
7. पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखपृकषा), दिल्ली के पक्ष में आहरित क्रॉसड डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1६,६६६/- (मात्र दस हजार रुपए) तक की बयाना जमा राशि (ईएमडी) प्रस्तुत की जानी चाहिए।
8. इसके बाद ठेकेदार के रूप में संदर्भित सफल संविदाकार को कुल करार मूल्य के 1६% के समान राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी है जिसे वारंटी/समर्थित अवधि की समाप्ति पर जारी किया जाएगा।
9. यदि संविदाकार कार्यभार को पूरा करने में विफल होता है या एएमसी अवधि के दौरान संतोषजनक सेवाएँ प्रदान नहीं करता है तो उसको दिया गया ठेका नोटिस दिये बिना अथवा उसके लिए कोई कारण बताते बिना रद्द कर दिया जाएगा तथा बैंक गारंटी को आंशिक रूप से या पूरा भुनाया जाएगा और उसको देय राशि यदि कोई हो तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इस संदर्भ में, निदेशक (कार्मिक) का निर्णय अंतिम होगा तथा संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा।
1०. यदि कोई चूक देखी या वारंटी/समर्थित अवधि के दौरान उपयोगकर्ताओं द्वारा कोई शिकायत की जाती है तो विलंबित सुधार या किसी अन्य कारण की वजह से कार्य की किसी अव्यवस्था के लिए मुआवजे की उगाही पर ठेकेदार से जुर्माना दावा लागू करके इस कार्यालय के निदेशक (कार्मिक) द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
11. विक्रेता इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लिखित सहमति के बिना आदेश में अनुबंधित के अलावा कार्य को पूर्ण तथा अंशतः सब्लेट नहीं करेगा। यदि ऐसा मामला हो तो यह ठेकेदार को ठेके के अंतर्गत किसी जवाबदेही या उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगा तथा वह अपनी तथा अपने एजेंटों के नौकरो अथवा श्रमिकों के कार्यों, चूको तथा लापरवाहियों के लिए उत्तरदायी होगा।

12. ठेकेदार संविदा की अवधि के दौरान कामगारों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए अथवा जनता की सुरक्षा एवं अन्य बीमा प्रावधानों के लिए दिल्ली की एनसीटी सरकार अथवा केंद्रीय सरकार अथवा इस कार्यालय एवं अन्य सभी स्थानीय प्राधिकरणों के विनियमों तथा सहायक कानूनों, राज्य विधायिका तथा संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न मजदूर अधिनियमों में दिये गए प्रावधानों तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि विनियम इत्यादि के अंतर्गत दिये गए नियमों सहित बनाए गए कानूनों का पालन तथा अनुपालन करेगा।
13. ठेकेदार संविदा के क्रियान्वयन के समय अपने कामगारों/इंजीनियर अथवा कार्यालय परिसर में अन्य व्यक्तियों को तथा सम्पदा को किसी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के लिए किसी देयता के विरुद्ध इस कार्यालय की क्षतिपूर्ति करेगा।
14. एएमसी व्यापक होगी तथा इसमें यूपीएस के सभी घटक तथा इसकी सर्विस इत्यादि शामिल होगी।
15. महीने में एक बार सभी यूपीएस की पूरी तरह से सफाई तथा निरीक्षण किया जाना चाहिए। यूपीएस की सफाई तथा निरीक्षण हेतु अपेक्षित सामग्री ठेकेदार द्वारा लायी जानी चाहिए। ठेकेदार द्वारा प्रयोक्ता के बुलावे पर किए गए अतिरिक्त दौरों के लिए जो असीमित होंगे, कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
16. एएमसी के निष्पादन को भुगतान से जोड़ा जाएगा। 1इं% अपटाइम की आशा की जाएगी। डाउनटाइम 15 मिनट से अधिक होने की स्थिति में, प्रत्येक 15 मिनट के लिए 1% प्रतिशत एएमसी लागत की कटौती की जाएगी।
17. सभी शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी शिकायतों/समस्याएं आनसाईट सुलझाई जानी चाहिए। यदि कोई शिकायत/समस्या एक घंटे के अंदर नहीं सुलझाई जा सकती तो ठेकेदार द्वारा एक उपयुक्त स्टैंडबाई यूपीएस उपलब्ध कराया जाएगा तथा जल्दी से जल्दी समस्या को सुलझाया जाना चाहिए।
18. बदले गए कलपुर्जे समान मॉडल, मेक तथा क्षमता के होंगे तथा प्रतिस्थापन की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।
19. भुगतान प्रत्येक तिमाही के अंत में ही किया जाएगा। यदि किसी कारण से एएमसी की अवधि के दौरान यूपीएस का निपटान किया जाएगा तो केवल आनुपातिक एएमसी प्रभार का भुगतान किया जाएगा। यदि एएमसी प्रभारों का भुगतान सिस्टम के निपटान से पहले किया जा चुका है तो आनुपातिक राशि इस कार्यालय के दूसरे यूपीएस के प्रति समायोजित की जानी है।
20. विक्रेता संविदा की समाप्ति पर रवि टावर के सभी विधुतीय प्रतिष्ठापनों को चालू हालत में सौंपेगा।
21. यदि विक्रेता उपरोक्त सभी निबंधनों तथा शर्तों का पालन करता है तथा संतोषजनक सेवा उपलब्ध कराता है तो सफल विक्रेता की संविदा तीन वर्ष तक जारी रहेगी।

-Sd-

(परवेज़ हसन)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (क.सू.प्रौ.)

